संख्या-534/2017/219/22-2-2017-17(152)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जुलाई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार पुत्र श्री आदित्य कुमार, निवासी-जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016(एम-17-11-2016) दिनांक-17-11-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार पुत्र श्री आदित्य कुमार, निवासी-खाण्डामऊ, थाना-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 03.07.1991 को वीडियो बुक कराने के पश्चात वीडियो आपरेटर व 01 अन्य व्यक्ति को मारकर कुंए में फेंक दिया जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-288/1993, 327/92 में भा0द0वि0 की धारा-364 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 20.10.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2016 तक 22 वर्ष 11 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 08 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 03.07.1991 को वीडियो बुक कराने के पश्चात वीडियो आपरेटर व 01 अन्य व्यक्ति को मारकर कुंए में फेंककर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग होने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार पुत्र श्री आदित्य कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार (बन्दी संख्या-9493) पुत्र श्री आदित्य कुमार निवासी जनपद-कानपुर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-534/2017/219(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-534/2017/219/22-2-2017-17(152)/2010

दिनांक 11 जुलाई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार पुत्र श्री आदित्य कुमार, निवासी-खाण्डामऊ, थाना-बिल्हौर, जनपद-कानपुर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 03.07.1991 को वीडियो बुक कराने के पश्चात वीडियो आपरेटर व 01 अन्य व्यक्ति को मारकर कुंए में फेंक दिया जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-288/1993, 327/92 में भा0द0वि0 की धारा-364 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 20.10.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.01.2016 तक 22 वर्ष 11 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 29 वर्ष 08 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने दिनांक 03.07.1991 को वीडियो बुक कराने के पश्चात वीडियो आपरेटर व 01 अन्य व्यक्ति को मारकर कुंए में फेंककर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 44 वर्ष लगभग होने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये समयपूर्व रिहाई का विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजू उर्फ पप्पू सितई उर्फ प्रदीप कुमार उर्फ अभय कुमार पुत्र श्री आदित्य कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।